# न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :– 84 / 2015

पीठासीन अधिकारी
श्री मोहरसिंह मीना (आर.ए.एस.)

वेदप्रकाश पुत्र बदरीराम जाति बैरवा निवासी धाकड़ा की ढाणी ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रार्थी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(अप्रार्थी)

## प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय दिनांक : 4/8/22

उपस्थित :– 1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री घनश्याम सैनी एडवोकेट
2. अप्रार्थी की ओर से परोकार सरकार

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की सहखातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी खसरा नं0 4057 / 2 रकबा रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा वाकै ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा राज0 में स्थित है। जिसमे वादी व उसकी मां लछमा बेवा बदरी का हिस्सा 1 / 16 तथा शेष हिस्सा जमाबंदी में वर्णित सहखातेदारान का है। प्रार्थी का वास्तविक रूप से वेदप्रकाश है परन्तु वरवक्त विरासत के नामान्तकरण के समय प्रार्थी के नाम के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र बदरी राजस्व अभिलेख में राजस्व एजेन्सी की गलती से अंकित कर दिया गया। जबकि गांव मे ओमप्रकाश पुत्र बदरी नाम का कोई व्यक्ति नही है। प्रार्थी का नाम सरकारी दस्तावेज पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ड्राईवर लाईसेन्स इत्यादि मे वेदप्रकाश पुत्र बदरी अंकित है। प्रार्थी मृतक बदरीराम का जायन्दा पुत्र है। परन्तु राजस्व एजेन्सी की गलती से प्रार्थी के नाम के स्थान पर ओमप्रकाश का

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0)

इन्द्राज गलत कर दिया गया। जिसे दुरूस्त करवाने हेतू प्रार्थी कानूनन अधिकृत है। प्रार्थी एवं प्रार्थी की मां लछमा बेवा बदरी तथा जमाबंदी में अंकित अन्य सहखातेदारान चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है और वर्तमान में भी तदानुसार ही काबिज है। दिनांक 18-06-2015 को प्रार्थी ने अप्रार्थी के कार्यालय मे जाकर ओमप्रकाश पुत्र बदरी के स्थान पर अपना नाम अंकित करवाने हेतू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। परन्तु अप्रार्थी ने स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। इसलिए विनाय मुखास्मत पैदा होकर प्रार्थी को अपने हितों की रक्षार्थ यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना पडा है। प्रार्थी कानूनन मुश्तहक है कि चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में मृतक बदरीराम के हिस्से की भूमि के राजस्व रिकार्ड अभिलेख में राजस्व एजेन्सी की गलती से प्रार्थी (वेदप्रकाश) के नाम के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र बदरी किए गये खातेदारी इन्द्राजात को लोपित किया जाकर उसके स्थान पर वेदप्रकाश पुत्र बदरीराम का इन्द्राजात कर राजस्व एजेन्सी के इन्द्राज दुरूस्त करवाने हेतू तथा इस आशय के इन्द्राजात राजस्व अभिलेख में करने हेतु तहसीलदार लालसोट को आदेशित फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर तलबी अप्रार्थी जारी की गई जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वादग्रस्त आराजी की वास्तविक स्थिति की जांच रिपोर्ट तहसीलदार व हल्का पटवारी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर शामिल मिसल की गई।

बहस प्रार्थी सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे अन्य गवाह का शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया जिसमे प्रार्थना पत्र में पेश दस्तावेजात मुताबिक प्रार्थना पत्र अनुतोष अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य है।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यान पूर्वक मनन व अवलोकन किया एवं तहसीलदार लालसोट से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वादग्रस्त आराजी खसरा न0

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

4057/2 रकबा रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा वाकै ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट के राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम ओमप्रकाश पुत्र बदरी का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर वेदप्रकाश पुत्र बदरीराम का नाम अंकन किये जाने का अनुतोष चाहा है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

## आदेश

आराजी वादग्रस्त खसरा नं0 4057/2 रकबा रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा वाकै ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट में स्थित कृषि के राजस्व अभिलेख मे दर्ज नाम ओमप्रकाश पुत्र बदरी बैरवा का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर वेदप्रकाश पुत्र बदरीराम बैरवा नाम का अंकन किये जाने हेतू तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये जाते है। तद्नुसार तहसीलदार लालसोट को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 4/8/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

( मोहरसिंह मीना )
उपखण्ड अधिकारी लालसोट
उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)